



## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विधि प्रार्थना पत्र संख्या:- 16 / 2014.

जिला-जयपुर.

उत्त-पंचम, जयपुर।  
 उत्तान- मैसर्स संगम हैण्ड्रीकाफ्ट्स प्रा.लि., एफ-1, विनय पथ, के.सी.रोड, बनीपार्क, जयपुर वा.क.अ., विशेष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तानील में जारी हुए
03.11.2014	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ</u>                      श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष                      श्री मदन लाल, सदस्य</p> <p>उक्त विविध प्रार्थना पत्र, अपीलीय अधिकारी, प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ के प्रकरण <u>अपील संख्या 1763 / 2013 / जयपुर मैसर्स संगम हैण्ड्रीकाफ्ट्स प्रा. लि., एफ-1, विनय पथ, के.सी.रोड, बनीपार्क, जयपुर वा.क.अ., विशेष वृत्त-पंचम, जयपुर निर्णय दिनांक 17.10.2013 के संबंध में प्रस्तुत कर, प्रकरण के निस्तारण की समयावधि, बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है।</u></p> <p>विभाग की ओर से विद्वान.उप-राजकीय अभिभाषक श्री एन.के.बेद व व्यवहारी की ओर विद्वान अभिभाषक श्री विक्रय गोगरा बहस हेतु दिनांक 27.10.2014 को उपस्थित हुये।</p> <p>उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में व्यवहारी की ओर से प्रकरण में समयावधि बढ़ाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी।</p> <p>उभयपक्षीय बहस व अपीलीय अधिकारी, प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरण के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक <u>17.10.2013 के जसिये पूर्व में निर्धारित समय सीमा मय स्थान पूर्व पारित आदेश दिनांक 17.10.2013की शर्तानुसार</u> को इस आदेश प्राप्ति के आगामी दिनांक <u>31.12.2014 तक बढ़ाया जाना उचित है। अतः अपील प्रकरण के निस्तारण की समयसीमा दिनांक 31.12.2014 तक बढ़ायी जाती है।</u></p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p>	
	 3.11.2014 (मदन लाल) सदस्य	 (राकेश श्रीवास्तव) अध्यक्ष